न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान
आई.ए.एस.

रेफरेन्स प्रा0प0 संख्या 04 / 2021

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील व जिला झुंझुनूं।

–– प्रार्थी

बनाम

1. इरफान अली पुत्र मुनशफ अली, जाति पठान, सा0देह खातेदार।
2. मुकरम अली पुत्र मुनशफ अली, जाति पठान, सा0देह खातेदार।
3. मंजूर अली पुत्र मुनशफ अली, जाति पठान, सा0देह खातेदार।
4. मलिक खुर्शीद पुत्र मुनशफ अली, जाति पठान, सा0देह खातेदार निवासीगण जयपहाडी, तहसील व जिला झुंझुनूं।

–– अप्रार्थीगण

––

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

––

उपस्थितः–

1. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय एडवोकेट– प्रार्थी की ओर से।
2. श्री महिपाल सिंह कपूरिया एडवोकेट– अप्रार्थीगण की ओर से।

आदेश

दिनांक 29.10.2021

1. पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के द्वारा प्रस्तुत की गई है। रेफरेन्स के तथ्य निम्न प्रकार से है कि मौजा जयपहाडी तहसील व जिला झुंझुनूं की हाल जमाबन्दी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 212 के अनुसार ग्राम जयपहाडी मे स्थित भूमि ख0न0 146 रकबा 0.86 है0 किस्म चाही 3 एवं ख0न0 148 रकबा 0.58 है0 किस्म चाही 3 की गैर खातेदारी इरफान अली पुत्र मुनशफ अली, मुकरम अली पुत्र मुनशफ अली, मंजूर अली पुत्र मुनशफ अली, मलिक खुर्शीद पुत्र मुनशफ अली, जाति पठान, सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि के गत ख0न0 एवं पूर्व के रिकार्ड की स्थिति निम्नानुसार दर्ज रिकार्ड हैः–

क0 स0	जमाबन्दी संवत्	ख0न0	रकबा	किस्म	जमीन 3 गैर मौरूसी कृषक का नाम व विवरण
1	2012–2015	102	5 बीघा 14 बिश्वा	बंजड अवल	मुनसफ अली खां पुत्र मेजर मोहम्मद यासीन खां, कौम पठान, सा0 देह गैर खातेदार
2	2018–2021	102	5 बीघा 14 बिश्वा	बंजड अवल	मुनसफ अली खां पुत्र मेजर मोहम्मद यासीन खां, कौम पठान, सा0 देह गैर खातेदार
3	2022–2025	102	5 बीघा	बंजड	मुनसफ अली खां पुत्र मेजर मोहम्मद यासीन

			14 बिश्वा	अवल	खां, कौम पठान, सा0 देह गैर खातेदार
4	2026–2029	102	5 बीघा 14 बिश्वा	बंजड अवल	मुनसफ अली खां पुत्र मेजर मोहम्मद यासीन खां, कौम पठान, सा0 देह गैर खातेदार
5	2030–2033	102	5 बीघा 14 बिश्वा	बंजड अवल	मुनसफ अली खां पुत्र मेजर मोहम्मद यासीन खां, कौम पठान, सा0 देह गैर खातेदार
6	2043–2046	102	5 बीघा 14 बिश्वा	बंजड अवल	मुनसफ अली खां पुत्र मेजर मोहम्मद यासीन खां, कौम पठान, सा0 देह गैर खातेदार
7	2059–2062	146 148	0.86 है 0.58 है	चाही 3 चाही 3	मलिक खुर्शीद, मंजूर अली, इरफान अली, मुकरम अली पि0 मुनसफ अलीं, कौम पठान, सा0 देह गैर खातेदार
8	2062–2065	146 148	0.86 है 0.58 है	चाही 3 चाही 3	मलिक खुर्शीद, मंजूर अली, इरफान अली, मुकरम अली पि0 मुनसफ अलीं, कौम पठान, सा0 देह गैर खातेदार
9	2064–2067	146 148	0.86 है 0.58 है	चाही 3 चाही 3	मलिक खुर्शीद, मंजूर अली, इरफान अली, मुकरम अली पि0 मुनसफ अलीं, कौम पठान, सा0 देह गैर खातेदार
10	2068–2071	146 148	0.86 है 0.58 है	चाही 3 चाही 3	मलिक खुर्शीद, मंजूर अली, इरफान अली, मुकरम अली पि0 मुनसफ अलीं, कौम पठान, सा0 देह गैर खातेदार
11	2072–2075	146 148	0.86 है 0.58 है	चाही 3 चाही 3	मलिक खुर्शीद, मंजूर अली, इरफान अली, मुकरम अली पि0 मुनसफ अलीं, कौम पठान, सा0 देह गैर खातेदार
12	2074–2077	146 148	0.86 है 0.58 है	चाही 3 चाही 3	इरफान अली पुत्र मुनशफ अली, मुकरम अली पुत्र मुनशफ अली, मंजूर अली पुत्र मुनशफ अली, मलिक खुर्शीद पुत्र मुनशफ अली, हिस्सा 1/4 जाति पठान, सा0 देह गैर खातेदार

उक्त वर्णित भूमि जमाबन्दी संवत् 2012–2015 से गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड है जो बिना किसी कारण व आदेश के दर्ज हुई है। सार्वजनिक उपयोग की उक्त विवादित भूमि किसी व्यक्ति विशेष की खातेदारी कब्जे मे दिया जाना न्यायोचित नही है। इस प्रकार की भूमियों की सुरक्षा करना प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) का कर्तव्य है। राजस्व रिकार्ड में गलत अंकन की आड़ में गैर खातेदारी अपने प्रभाव से किसी प्रकार से उक्त विवादित भूमि की खातेदारी ग्रहण कर लेता है तो राज्य सरकार की हक तलफी होगी, अपूर्तनीय क्षति होगी, आमजन को असुविधा होगी, आवश्यक मुकदमेबाजी बढेगी तथा अनेको कानूनी पेचदागियां उत्पन्न हो जायेगी। अतः रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खाता संख्या 212 के अनुसार ग्राम जयपहाडी मे स्थित भूमि ख0न0 146 रकबा 0.86 है0 किस्म चाही 3 एवं ख0न0 148 रकबा 0.58 है0 किस्म चाही 3 की गैर खातेदारी अप्रार्थीगण के खाते से हटाई जाकर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें तथा अन्य सिद्धि जो राज्य हित व सार्वजनिक हित में दिया जाना उचित हो व भी दिलाने की कृपा करें।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आये। अप्रार्थीगण ने दिनांक 09.09.2021 को जबाब प्रस्तुत निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में दर्ज इबारत जिस तरह से दर्ज है

स्वीकार नहीं है। इस धारा में दर्ज इन्द्राज जमाबन्दी सम्वत् 2074 लगायत 2077 के खाता संख्या 212 के अनुसार ग्राम जयपहाड़ी भूमि खसरा नम्बर 146 रकबा 0.86 हैक्टर किस्म चाही तृतीय एवं खसरा नम्बर 148 रकबा 0.58 हैक्टर किस्म चाही की गैर खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम राजस्व अधिकारियों की भूल व गलती से गलत दर्ज है जबकि जमाबन्दी सम्वत् 2012 से 2015 में अप्रार्थी 1 लगायत 4 के पिता मुन्सफ अली खातेदार काश्तकार दर्ज है जो मुदत 3 साल यानि की 2009 से खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पहले खातेदार काश्तकार है, जिसको प्रार्थी के द्वारा कानूनन इन्कार करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त अंकन बाद में राजस्व अधिकारियों की लापरवाही व भूल से गैर खातेदारी में दर्ज कर दिया गया जो काबिले दुरूस्ती है। जब एक बार खातेदार काश्तकार को खातेदार हकूक प्राप्त हो जाते है व जिनका इन्द्राज उनके हक में उस वक्त की जमाबन्दी में खातेदारी इन्द्राज हो जाता है तब कानूनन खातेदारी समाप्त नहीं की जा सकती है व बाद में कार्यवाही के द्वारा पूर्व की तरह से दर्ज करना होता है व राजस्व रिकार्ड में भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों को राजस्व रिकार्ड में कोई तब्दीली करने का अधिकार कानूनन प्राप्त नहीं है तथा जमाबन्दी सम्वत् 2012 लगायत 2015 के बाद में किस आदेश के तहत उपरोक्त आराजीयात को अप्रार्थीगण के पिता मुन्सफ अली की गैर खातेदारी बाद के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी आदि में दर्ज की गई इसका कोई उल्लेख नहीं है तथा उक्त आराजीयात की किस्म आज भी चाही तृतीय राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त आराजीयात का लगान भी जमाबन्दी सम्वत् 2012 लगायत 2015 में दर्ज है व बाद की जमाबन्दीयों में भी लगान का उल्लेख है। अप्रार्थीगण को उक्त आराजीयात इनके पिता मुन्सफ अली से उतराधिकार में प्राप्त हुई है। अप्रार्थीगण ने राजस्व सक्षम अदालत उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू की अदालत में दावा संख्या 136/14 उनवानी मलिक खुर्शीद वगैरह बनाम राजस्थान सरकार दावा बाबत घोषणार्थ एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दायर कर उपरोक्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु निवेदन किया है। उक्त दावा में तहसीलदार झुंझुनू ने जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अगर उक्त दावा मंजूर करने में राजस्व रिकार्ड की कोई हानि राजस्थान सरकार को नहीं होती है तो वाद वादीगण डिक्री किये जाने में कोई ऐतराज नहीं है व उक्त दावा दिनांक 22.05.2015 को बहक अप्रार्थीगण के हक में डिक्री एवं घोषणा इस अमर की गई है कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि उक्त विवादित आराजी भूमि पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो ग्राम जयपहाड़ी जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 के खाता संख्या 189 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्ट कॉलम 4 में गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार का अंकन दर्ज कर शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। इसके बाद में तहसीलदार झुंझुनू को तहरीर जारी कर बहक अप्रार्थीगण नम्बरान 1 लगायत 4 हक में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावें। जिसके बाद में कार्यालय तहसीलदार झुंझुनू के द्वारा पटवारी हल्का जयपहाड़ी को भी उक्त आशय की तहरीर जारी हो चुकी है। इसलिए तहसीलदार झुंझुनू आज मौजूदा में उपरोक्त आराजीयात वर्णित प्रार्थना पत्र की धारा 1 को अप्रार्थीगण की खातेदारी काश्त में होना स्वीकार करता है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसीलदार झुंझुनू के प्रार्थना पत्र रेफरेन्स खारिज फरमाया जावें।

3. बहस सुनी गई। विद्वान राजकीय अभिभाषक (प्रार्थी) ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम जयपहाडी की सरहद मे स्थित भूमि हाल ख0न0 146 रकबा 0.86 है0 किस्म चाही 3 एवं ख0न0 148 रकबा 0.58 है0 किस्म चाही 3 के मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2012 से 2015 के अनुसार पुराने भूमि खसरा नम्बर 102 रकबा 5 बीघा 14 बिश्वा की गैर खातेदारी अनावेदक के नाम दर्ज रिकार्ड थी। विवादित भूमि सार्वजनिक उपयोग मे काम आ रही है। अतः प्रार्थी का प्रा0प0 स्वीकार किया जाकर अनोवदक के खाते

से हटाया जाकर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भेजे जाने का आदेश फरमाया जावे।

4. वकील अप्रार्थीगण ने राजकीय अभिभाषक के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि ख0न0 146 रकबा 0.86 है0 किस्म चाही 3 एवं ख0न0 148 रकबा 0.58 है0 किस्म चाही 3 अप्राथीगण की गैर खातेदारी व कब्जे की भूमि है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं के आदेशों से अप्रार्थीगण को खातेदार घोषित किया गया है जिसकी इजरा विचाराधीन है। दिनांक 16.05.2017 को तहसीलदार झुंझुनूं को तहरीर जारी हुई थी एवं इजरा मे आगामी तारीख पेशी दिनांक 08.11.2021 नियत है। अप्रार्थीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पहले से ही विवादित भूमि का काश्तकार है। विवादित भूमि चाही भूमि है। संवत् 2012–15 मे अप्रार्थी को गैर खातेदार गलत दर्ज कर रखा है। अप्रार्थीगण विवादित भूमि के गैर खातेदार काश्तकार है। विवादित भूमि सार्वजनिक रूप से काम मे नही आ रही है। अतः प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया , बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का भी अवलोकन किया। प्रार्थी तहसीलदार झुंझुनू द्वारा मौजा जयपहाडी तहसील व जिला झुंझुनूं की हाल जमाबन्दी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 212 के अनुसार ग्राम जयपहाडी मे स्थित भूमि ख0न0 146 रकबा 0.86 है0 किस्म चाही 3 एवं ख0न0 148 रकबा 0.58 है0 किस्म चाही 3 की गैर खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम से निरस्त कर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत किया है। प्रकरण में अहम तथ्य निम्न प्रकार से है यथा :–

   1. प्रकरण में प्रार्थी तहसीलदार झुंझुनू द्वारा विवादित आराजी को सार्वजनिक उपयोग की भूमि बताया है तथा भूमि गैर खातेदारी को निरस्त करने का अनुतोष चाहा है। इस संबंध में अप्रार्थीगण का तर्क यह रहा है कि विवादित आराजी कभी सार्वजनिक उपयोग में नहीं ली गई है। बल्कि आराजी प्रारम्भ से अप्रार्थीगण के पिता की गैर खातेदारी में दर्ज रही है जो काश्त की भूमि है।
   2. अप्रार्थीगण का दुसरा तर्क यह रहा है कि विवादित आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधान लागु नहीं होते है क्योंकि विवादित आराजी ग्राम जयपहाड़ी स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 102 सम्वत् 2012 से 2015 में गैर खातेदारी में दर्ज रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में गोचर भूमि, नदी, तल अथवा तालाब तथा किसी लोक प्रयोजन या लोक उपयोग के कार्य लिए प्राप्त की गई या धारण की गई भूमि को माना है। प्रकरण में विवादित आराजी किस्म बंजड़ अव्वल दर्ज रही है, जो गैर खातेदारी में रही भूमि है।
   3. विवादित आराजी ग्राम जयपहाड़ी स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 102 की गैर खातेदारी अप्रार्थीगण के पिता मुन्सफ अली के नाम से दर्ज रिकार्ड थी। अप्रार्थीगण द्वारा इस संबंध में समक्ष न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के वाद दायर कर उक्त विवादित आराजी की बाबत गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज करने अनुतोष चाहा था। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू ने अपने वाद संख्या 136/2014 में निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2015 जारी कर अप्रार्थीगण को खातेदारी देनें का आदेश जारी किये थे। रिकार्ड के अवलोकन से साफ है कि ग्राम जयपहाड़ी स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 102 की गैर खातेदारी अप्रार्थीगण के पिता मुन्सफ के नाम दर्ज रही है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा भी निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2015 के द्वारा उक्त गैर खातेदारी को खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिये है। उक्त निर्णय व डिक्री में प्रार्थी तहसीलदार झुंझुनू भी पक्षकार रहे है तथा उक्त आदेश की प्रति पालनार्थ प्रार्थी तहसीलदार झुंझुनू को न्यायालय उपखण्ड

जिला कलक्टर झुंझु

(54)

अधिकारी झुंझुनू द्वारा भिजवाई गई थी। इससे साफ है कि प्रार्थी को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी रही है। इस संबंध में नजीर स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम मनसुख 2000 आर.आर.डी. 410 के अनुसार " जहां काश्तकारी करने के आधार पर भूमि एक व्यक्ति की गैर खातेदारी में दर्ज की गई थी, परन्तु नियमित बंदोबस्त के समय उस भूमि को सरकार की भूमि की भांति दर्ज कर दी गई और वह भी प्रभावित व्यक्ति को बिना सुने और इस पर सहायक आयुक्त उपनिवेशन ने प्रार्थी के हक में डिक्री दे दी परन्तु राज्य सरकार की ओर से कोई अपील नहीं की गई तो निर्देश (रेफरेन्स) अस्वीकार किया गया।" नजीर से साफ है कि प्रार्थी तहसीलदार झुंझुनू विवादित आराजी की बाबत अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी को गलत मानते तो उन्हे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील करनी चाहिए थी।

4. अन्त में हम पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड तथा दोनों पक्षों के तर्का से इस निष्कर्ष पर पहूंचे है कि विवादित आराजी सम्वत् 2012 से 2074 तक अप्रार्थीगण के पिता के गैर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड रही, जिसे अप्रार्थीगण द्वारा सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू में वाद संख्या 136/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.20215 द्वारा दुरूस्ती का अनुतोष भी प्राप्त कर लिया गया है।
5. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति प्रार्थी तहसीलदार झुंझुनू को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम एवं बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 29.10.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर झुंझुनूं 29/10/2

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनू